(7)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एस0एस0 अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक--50--पीबीआर/2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 20--11--2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर सम्भाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक--321/2005--06/अपील

.....

अब्दुल सलाम पुत्र श्री चांद खां
निवासी--कमलागंज, शिवपुरी तहसील व
जिला--शिवपुरी(म0प्र)

--------आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर शिवपुरी, म0प्र0

--------अनावेदक

.....

श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
शासकीय अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 01/06/2010 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू--राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20--11--2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक के द्वारा ग्राम बरखाड़ी की विवादित भूमि सर्वे क्र0 69.70 में से अवैध रूप से 850 घनमीटर फर्सी पत्थर का उत्खनन किया जाना पाये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी, शिवपुरी ने अपने प्रकरण क्रमांक 22/2003--04/अ--67 में पारित आदेश दिनांक 16.05.2005 द्वारा 8.50 लाख रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया । इस आदेश से असंतुष्ट होकर आवेदक द्वारा अपील अपर कलेक्टर शिवपुरी के न्यायालय में पेश की गई जो प्रकरण क्रमांक 34/2004--05/अपील पर दर्ज होकर पारित आदेश दिनांक 22.02.2006 से निरस्त की गई । इसी आदेश के विरूद्ध

अपर आयुक्त ग्वालियर के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई, जहां प्रकरण क्रमांक 321/2005--06/अपील पर पंजीबद्ध होकर दिनांक 20.11.2006 को अपील अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार किया गया । उभयपक्ष के अभिभाषकों ने प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया है। अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेखों के आधार पर किया जा रहा है।

4/ प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक के विरूद्ध ग्राम बरखाड़ी की प्रश्नाधीन भूमि सर्वे 69.70 में से 850 घनमीटर का अवैध उत्खनन किये जाने का मामला अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में संहिता की धारा 247(7) के अंतर्गत नायब तहसीलदार सुभाषपुरा द्वारा प्रतिवेदन तैयार कर पेश किया गया । इसी प्रतिवेदन के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया, किन्तु सूचना उपरांत भी आवेदक अनुपस्थित रहा। तहसील न्यायालय में शासन के भी साक्ष्य लिये गये है और उसी साक्ष्य के आधार पर आवेदक के द्वारा किये गये अवैध उत्खनन को सिद्ध पाया गया है। चूंकि आवेदक ने तहसील न्यायालय में पेश किये गये साक्ष्य के विपरीत कोई ठोस आधार न तो इस न्यायालय में पेश किया है और न ही अधीनस्थ न्यायालय में ही पेश किया गया है। ऐसे में अनुविभागीय अधिकारी ने अपने प्रकरण क्रमांक 22/2003--04/अ--67 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 16.05.2005 द्वारा आवेदक के विरूद्ध जो एकपक्षीय कार्यवाही की है एवं 8.50 लाख रुपये का अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया है वह उचित प्रतीत होता है। आवेदक की लापरवाही एवं प्रकरण में असजगता के कारण ही उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। इसके अतिरिक्त तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी ठोस आधार के अभाव में निरस्त की जाती है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,
ग्वालियर,